

18.04.2024 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी दिनांक 12.01.2024 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है, कि वादी सुरेन्द्र कुमार द्वारा चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के खाता संख्या 89/73 में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम से दर्ज कुल 3.036 हैक्टर आराजी मे से 1/3 हिस्सा की आराजी का अभिकथित इकरारनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

वादी को अभिकथित इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 की खातेदारी भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है अपितु सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने इसी इकरारनामा के आधार पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टिब्बी के समक्ष विशिष्ट पालना का वाद-पत्र दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया में स्थानान्तरित होकर विचाराधीन है तथा इस सिविल वाद-पत्र में वादी भी बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार है। इस प्रकार जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त कथित इकरारनामा के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक यह वाद-पत्र पोषणीय नहीं है तथा विधितः वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद-पत्र वादी विधितः वर्जित होने व वादी को हम प्रार्थीगण के खिलाफ कोई वाद कारण नही होने के कारण काबिल खारिजी के है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 के कथन कि वादी का अभिकथित इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की खातेदारी भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं है अपितु सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, जो कि अस्वीकार है। यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इसी इकरारनामा के आधार पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टिब्बी के समक्ष विशिष्ट पालना का वाद पत्र दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत किया है जो कि वर्तमान में न्यायालय सिविल न्यायाधीश संगरिया में विचाराधीन है, स्वीकार है। इसी प्रकार यह कथन कि जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त कथित इकरारनामा के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक यह वाद पत्र पोषणीय नहीं है तथा विधितः वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों का समावेश करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाये है। उन्हे साक्ष्य अभिलिखित होने के बाद निर्णित किया जाना है। पत्रावली में अभी जवाबदावा आना शेष है। प्रार्थीगण अपने जवाब दावा में उक्त बिन्दु उठा सकते है। प्रार्थीगण का यह कथन कि माननीय न्यायालय को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, के सम्बंध में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद पत्र पेश

उपर्युक्त अधिकारी एवं
वदने मंडायक क्लेक्कर
टिब्बी



किया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 आर.टी.ए. में पेश किया है जिसकी सुनवाई की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को है तथा उक्त वाद पत्र की सुनवाई की अधिकारिता माननीय न्यायालय को ही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यों पर पेश किया गया है जो कि काबिले खारिजी के है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद से संबधित आराजी का वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने इसी इकरारनामा के आधार पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टिब्बी के समक्ष दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संगरिया में स्थानान्तरित होकर विचाराधीन है तथा इस सिविल वाद-पत्र में वादी भी बतौर प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार है। इस प्रकार जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त कथित इकरारनामा के संबध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि बाधित होने के कारण प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 197/2022 अनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. मय राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 025/2022 को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय दिनांक 18.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी जिला हनुमानगढ़